न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –90/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टस्
सोहनराम पुत्र चन्द्राराम जाति नायक निवासी रेण तहसील मेड़ता जिला नागौर।		1. तहसीलदार मेड़ता 2. सरकार जरिये पटवारी हल्का, रेण तहसील मेड़ता।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से श्याम कुमार व्यास व ओमप्रकाश गौड।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 04-04-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मेड़ता द्वारा मुकदमा नम्बर 139/2018 (139/2017) सरकार बनाम सोहनलाल अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.08.2018 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

हस्तगत प्रकरण में पटवारी हल्का रेण व निरीक्षक भू.अभिलेख रेण की अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2018 की है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 04.07.2018 के अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 2018 का है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं अप्रार्थी सोहनलाल को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर भी प्रकरण संख्या 139/2018 अंकित है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 में मुकदमा संख्या 139/2018 के स्थान पर मुकदमा संख्या 139/2017 अंकित कर दिया है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 में प्रकरण संख्या–139/2018 अंकित होना चाहिए जो लिपिकीय त्रुटिवश प्रकरण संख्या 139/2017 अंकित होना पाया जाता है। अतः हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 20.07.2018 में प्रकरण संख्या 139/2018 मानकर निर्णय पारित किया जा रहा है।

हस्तगत प्रकरण में मा0 न्यायालय राजस्व अजमेर द्वारा निगरानी/एलआर/6549/2018/ जिला नागौर सोहनलाल बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता में दिनांक 06.09.2018 को आदेश पारित किया कि *" प्रार्थी के विरुद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को जिला कलक्टर द्वारा अपील के निस्तारण तक स्थगित किया जाकर प्रार्थी को सिविल कारावास से मुक्त करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी के जेल से बाहर आने पर उसकी उपस्थिति में तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर इस बात की जॉच करें कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है अथवा नहीं। इस बाबत रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित करे और तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर प्रकरण में एक माह के अन्दर निर्णय पारित करे।"* उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–राजस्व/2018/ 1304 दिनांक 18.12.18 एवं 1834 दिनांक 25.09.2018 से फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2019 छाया प्रति भिजवाई, जिसके अनुसार मौजा रेण के खसरा नम्बर 1535 रकबा 0.55 हैक्टयर गै.मु. रास्ता (वादग्रस्त आराजी) का तहसीलदार मेड़ता, भू अभिलेख निरीक्षक रेण, पटवारी हल्का रेण व फलौदी द्वारा ग्रार्थी सोहनलाल व ग्राम के अन्य मौतविरान के रूबरू वादग्रस्त आराजी का मौका देखा गया व सीमाज्ञान किया गया। जिसके अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा मूंग, ज्वार व बाजरी की फसल बोया जाना पाया गया। प्रार्थी ने उक्त खसरे में फसल बोना स्वीकार किया। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त कर अतिक्रमण पाया गया की रिपोर्ट है।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रेण ने भू अभिलेख निरीक्षक रेण से एक सत्यापित रिपोर्ट पेश की है कि संवत् 2075 में ग्राम रेण के खसरा नं 1535 रकबा 0.55 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की जगीन तही निकालकर नाजायज कब्जा किया है जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया। जो बाद विधिवत् तामिल होकर प्रति प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। अज अदालत में गैर सायल को तीन बार आवाज लगाई गई। गैर सायल तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित हुआ और किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। पटवारी हल्का रेण ऋषिकेश मीणा का लिखित बयान लिये गये। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 20.07.18 को अपीलांट के विरुद्ध बेदखली, जुर्माना व तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया।

अधि. न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट को सुनवाई का पूरा मौका दिये बगैर व जवाब, पुराने दस्तावेज पेश करने का अवसर दिए बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया है। जो विधि विरुद्ध ढ़ंग से पारित किया गया होने से काबिल खारिज किए जाने योग्य है।

विवादित रास्ते की भूमि खसरा नं. 1535 रकबा 0.55 हैक्टर पर अपीलांट का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, न आज दिन है, उक्त खसरा नं. 1535 अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा नं. 1520 व 1527 से करीब डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त खसरा नं. 1535 से अपीलांट को कोई लेना देना नहीं है। हल्का पटवारी ने गलत रुप से अपीलांट के विरुद्ध खसरा नं. 1535 पर अतिक्रमण बताते हुए कार्यवाही की है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किए अपीलांट को बिना अतिक्रमण किए ही जो सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है।

सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में साबिका ख.नं. 1632 के मध्य राजस्व नक्शे में खसरा नं. 1525 नया तरमीम किया गया है किन्तु उक्त खसरा नं. 1525 आज दिन मौके पर भौतिक रुप से स्थित नहीं है। उक्त खसरा नं. 1525 अपीलांट की खातेदारी की भूमि का हिस्सा है। इस प्रकार खसरा नं. 1520, 1525, 1526 व 1527 जो कि साबिका खेत खसरा नं. 1632 मिन से बने है एवं खसरा नं. 1632 अपीलांट की खातेदारी का खेत है इसके अलावा अपीलांट का ग्राम रेण में कहीं भी कोई कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं है। किन्तु हल्का पटवारी ने खसरा नं. 1535 पर अपीलांट का अतिक्रमण मनमाने ढ़ंग से अंकित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही कर दी एवं अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किए अपीलांट को सिविल कारावास दण्डित किए जाने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है।

खसरा नं. 1535 दक्षिणी तरफ पक्की डामर सड़क आई हुई है तथा उत्तरी तरफ लोगों के खातेदारी के खेताय आये हुए है। इस प्रकार खसरा नं. 1535 के उत्तर में जिन व्यक्तियों के खातेदारी के खेत आये हुए है वो किसी भी सूरत में अपीलांट को खसरा नं. 1535 पर काबिज नहीं होने देंगे क्योंकि उक्त खसरा नं. 1535 पर अतिक्रमण किये जाने से व खातेदार मुख्य सड़क से वंचित होते है। अपीलांट का कभी भी उक्त खसरा नं 1535 पर किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं रहा है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम पेशी पर ही केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किए जाने का जो आदेश पारित किया है। वह निरस्त किए जाने योग्य है।

अपीलांट अनपढ़, वृद्ध व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार की कानूनी जानकारी नहीं है। अपीलांट केवल मात्र अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1632 पर बतौर खातेदार काश्तकार ही काबिज है। इसके अलावा अपीलांट का किसी भी भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है न ही कोई अतिक्रमण है। इस कारण भी आदेश जैर अपील काबिल निरस्त किए जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय, मेडता द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.07.2018 को निरस्त करने तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार मेडता को अपीलांट का मौके पर वास्तविक रुप से खसरा नं. 1535 पर कब्जा है अथवा नहीं उसकी विस्तृत जांच कर अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया है।

तहसीलदार, नागौर

Scanned by CamScanner

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम रेण के खसरा नम्बर 1535 की 0.55 हैक्टर गै.मु. रास्ता की भूमि पर तही निकाल कर कब्जा किया गया है, जो की भू अभिलेख निरीक्षक रेण एवं पटवारी रेण की रिपोर्ट तथा पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयानों से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय पटवार मण्डल रेण पत्र दिनांक 14.09.2017 के पत्र की प्रति अनुसार खसरा संख्या 1535 रकबा 0.55 किस्म गै.मु. रास्ता पर से अपीलान्ट अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06.09.2018 की अनुपालना में तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार भी हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो विधि सम्मत होने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा ग्राम रेण के खसरा नम्बर 1535 गैर मुमकिन रास्ते की 0.55 हैक्टयर भूमि पर तही निकाल कर नाजायज कब्जा किया गया है, जो भू.अभिलेख निरीक्षक रेण एवं पटवारी रेण की रिपोर्ट तथा पटवारी हल्का रेण के बयान से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध कार्यालय पटवार मण्डल रेण पत्र दिनांक 14.09.2017 के पत्र की प्रति अनुसार खसरा संख्या 1535 रकबा 0.55 किस्म गै.मु. रास्ता पर से पूर्व में अपीलान्ट अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 06.09.2018 की पालना में तहसीलदार मेड़ता द्वारा प्रेषित फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2018 जो अपीलान्ट एवं ग्राम के अन्य मौतबिरान के रूबरू तैयार की गई है, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर फसल बोना स्वीकार किया गया है एवं अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण पाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अवैध अतिक्रमण स्पष्ट रूप से साबित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अंकित आदेशिका दिनांक 20.07.2018 के अनुसार अपीलान्ट दिनांक 20.07.2018 को अधिनस्थ न्यायालय में अवश्य उपस्थित हुआ, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने प्रतिरक्षण में कोई जबाब, साक्ष्य, सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पारित निर्णय जैर अपील पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है। सिविल कारावास के बिन्दू पर नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट द्वारा अब तक सिविल कारावास में भुगती गई सजा अवधि को यथावत रखते हुए शेष सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner